न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–131/2015

CIS NO. TS. 279/2018

निपु कुमार मिश्र एवं अन्य...वादीगण

बनाम

विरेन्द्र मिश्र...प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
08.07.2024	वादी की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.05.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा आवेदन धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी विरेन्द्र मिश्र की मृत्यु दिनांक 09.03.2024 को हो चुकी है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में पत्नी कमला देवी एवं पुत्र अभिषेक मिश्रा एवं पुत्री प्रियंका मिश्रा को छोडकर स्वर्गवास कर गये है। प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल किया गया है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी के द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन समय से दाखिल किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.05.2024 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल	

न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–131/2015

CIS NO. TS. 279/2018

निपु कुमार मिश्र एवं अन्य...वादीगण

बनाम

विरेन्द्र मिश्र...प्रतिवादी

लगातार **08.07.2024**	करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 09.08.2024 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	